

11/11/16
373804069
28/10

①

विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत
रजिस्टर्ड

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:-पेंशन प्राधिकृति/आदेश/के-85/2016-17/ 2547

दिनांक:- 27-10-2016

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक),
आन्ध्र प्रदेश, शेफाबाद रोड,
हैदराबाद - 500004 -

विषय:- सौतवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त / मृत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के संशोधन बाबत ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या F.No.38/37/2016-P&PW(A)(II) दिनांक 04.08.2016 द्वारा दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त / मृत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के संशोधन हेतु निर्देश जारी किये हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओं को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही कर संशोधित गणना पत्र की एक प्रति पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर को भी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें तथा पावती इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करें ।

संलग्न:- (5)

भवदीय

व.लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि

OGP

453291
02/11/16

